20. पूर्ववर्ती चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपीलें सफल होती हैं और तद्नुसार, मंजूर की जाती हैं । आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाते हैं । अपील (प्रकीर्ण अपील सं. 653/2016) को परिसीमा अवधि के भीतर फाइल किया जाना अभिनिर्धारित किया जाता है, तद्नुसार, इसकी मूल संख्या बहाल की जाती है । अब, उच्च न्यायालय, विधि के अनुसरण में, तत्परतापूर्वक गुणागुणों पर अपील का विनिश्चय करेगा ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

क.

[2018] 4 उम. नि. प. 19

दिनेश सिंह ठाकुर

बनाम

सोनल ठाकुर

17 अप्रैल, 2018

न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल और न्याययूर्ति (श्रीमती) आर. बानूमति

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 133 [सपठित हिन्दू विवाद अधिनियम, 1955 की धारा 13 और 26 तथा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 41] – अपील – पति-पत्नी के बीच हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार, भारत में विवाह संपन्न होना – विवाह के पश्चात्, पति-पत्नी द्वारा विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेना – पति-पत्नी के बीच विवाद होना – पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध असुधार्य विवाह-भंग के आधार पर फ्लोरिडा, यूएसए के न्यायालय में, विवाह-विच्छेद और भरणपोषण के लिए रिट फाइल करना – पति द्वारा गुड़गांव, भारत के कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष उपर्युक्त याचिका में कार्यवाहियों को अवरुद्ध करने के लिए वाद फाइल करना – वाद खारिज होना – वाद खारिज होने से न्याय का उद्देश्य विफल नहीं होना और अन्याय का शाश्वत् जारी नहीं रहना – यदि पति-पत्नी के बीच हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार, भारत में विधिमान्य विवाह संपन्न होता है और तत्पश्चात्, पति और पत्नी विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं और उनके बीच वैवाहिक विवाद उद्भूत होता है तो ऐसे विवाद को ग्रहण करने की अधिकारिता भारतीय न्यायालय के साथ ही

साथ उस विदेशी न्यायालय को भी प्राप्त होती है, जिस विदेशी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन उन्होंने नागरिकता ग्रहण की है और वैवाहिक विवादों के मामले में, विदेशी न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाहियों को तब तक अवरुद्ध करना न्यायोचित नहीं होगा जब तक कि उन कार्यवाहियों के कारण पति या पत्नी के साथ घोर अन्याय नहीं होता है या न्याय का उद्देश्य विफल नहीं होता है ।

वर्तमान मामले में, दिनेश सिंह ठाकुर – अपीलार्थी-पति और सोनल ठाकुर – प्रत्यर्थी-पत्नी के बीच हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार तारीख 20 फरवरी, 1995 को विवाह हुआ था और उक्त विवाह से दो बच्चे उत्पन्न हुए थे । अपीलार्थी-पति विवाह के समय पर संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में कार्य कर रहा था और उसने आश्रित वीजा पर प्रत्यर्थी-पत्नी को यूएसए ले गया । दोनों पक्षकारों ने मई, 2003 में यूएसए की नागरिकता प्राप्त कर ली थी । उन्होंने जून, 2003 में "पीआईओ" (मूल भारतीय व्यक्ति) की हैसियत प्राप्त कर ली थी और जुलाई, 2006 में 'ओसीआई' (विदेशी भारतीय नागरिकता) की हैसियत प्राप्त कर ली थी । अपीलार्थी-पति ने प्रत्यर्थी-पत्नी के विरुद्ध हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 13 और 26 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय, गुड़गांव के समक्ष 2016 की एच. एम. ए. संख्या 601 के अधीन एक याचिका फाइल की, जो न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है । तत्पश्चात्, प्रत्यर्थी-पत्नी ने अपीलार्थी-पति के विरुद्ध छठवें न्यायिक सर्किट न्यायालय, पाइनलाज काउंटी, फ्लोरिडा, यूएसए के समक्ष वाद संख्या 2016-008918-एफ. डी. के अधीन असुधार्य विवाह-भंग और अन्य अनुतोषों के आधार पर विवाह-विच्छेद के लिए एक याचिका फाइल की । इसके पश्चात्, अपीलार्थी-पति ने स्थायी व्यादेश और इसके अलावा प्रत्यर्थी-पत्नी को यूएसए में न्यायालय के समक्ष विवाह-विच्छेद की याचिका चलाने से अवरुद्ध करने की घोषणा करने के लिए अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अधीन जिला न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुड़गांव के समक्ष 2016 की सिविल वाद संख्या 15 फाइल की । विद्वान् जिला न्यायाधीश ने तारीख 26 सितम्बर, 2016 के आदेश द्वारा अपीलार्थी-पति के पक्ष में, एकपक्षीय अस्थायी व्यादेश मंजूर कर लिया । इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी-पत्नी ने तारीख 26 सितम्बर, 2016 के आदेश को बातिल और उपांतरित करने के लिए एक आवेदन फाइल किया । विद्वान् जिला न्यायाधीश ने तारीख 18 अक्तूबर, 2016 के आदेश द्वारा तारीख 26 सितम्बर, 2016 के आदेश द्वारा मंजूर व्यादेश को बातिल

कर दिया । व्यादेश बातिल करने के आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी-पति ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2016 की सी. आर. संख्या 7190 फाइल की । उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने तारीख 3 नवम्बर, 2016 के आदेश द्वारा अपीलार्थी-पति द्वारा फाइल याचिका को खारिज कर दिया । तारीख 3 नवम्बर, 2016 के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी-पति ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष इजाजत के माध्यम से यह अपील फाइल की है । न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रतिवाद व्यादेशों का अभिप्राय यह है कि एक अन्य न्यायालय जिनमें विदेशी न्यायालय भी सम्मिलित है, मामले को संस्थित करने या अभियोजित करने के लिए वाद/कार्यवाही करने से पक्षकार को अवरुद्ध करना है । साधारणतया, प्रतिवाद व्यादेश एक न्यायिक आदेश है जो एक पक्षकार को उसकी अधिकारिता से परे किसी अन्य न्यायालय में वाद में अभियोजित करने से अवरुद्ध करना है । व्यादेश मंजूर करने वाले शासित सिद्धांत, प्रतिवाद व्यादेश मंजूर करने वाले सिद्धांत एक समान हैं । व्यादेश के मामलों में आधारभूत तौर पर साम्या के सिद्धांत ही लागू होते हैं । यह सुस्थिर विधि है कि भारत में न्यायालयों को समुचित मामले में, उस पक्षकार के विरुद्ध प्रतिवाद व्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है जिस पर उसकी वैयक्तिक अधिकारिता है । तथापि, न्यायालयों को प्रतिवाद व्यादेश का आदेश पारित करने के पूर्व अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए और इसे कम से कम मामलों में मंजूर करना चाहिए और दिन-प्रतिदिन के मामले के रूप में पारित नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे आदेशों में अन्य न्यायालय की अधिकारिता का अतिक्रमण अंतर्वलित होता है जो इसे अत्यधिक सरलता से ग्रहण नहीं कर सकता है, विनिर्दिष्टतः, तब जब यह विदेशी न्यायालय में मामला संस्थित करने या जारी रखने या निरंतर जारी रखने से अवरुद्ध करता है । आगे, सुनवाई के दौरान, कतिपय दस्तावेज जैसे प्रत्यर्थी-पत्नी का पैन कार्ड, आधार कार्ड, पट्टा विलेख जो उसके द्वारा वर्ष 2015 में निष्पादित किया गया था, जिसे भी अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है, से पर्याप्त रूप से यह दर्शित होता है कि प्रत्यर्थी-पत्नी सामान्यतः, भारत में रह रही है । आगे, जैसा कि यूएस न्यायालय के समक्ष अभिलिखित कार्यवाहियों से प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी ने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि कुटुम्ब न्यायालय, गुड़गांव को प्रस्तुत मामले की अधिकारिता है । अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य, यह दर्शित करने के लिए पर्याप्त हैं कि प्रत्यर्थी, कुटुम्ब न्यायालय, गुड़गांव की वैयक्तिक अधिकारिता के अध्यधीन है । यद्यपि, प्रत्यर्थी-पत्नी कुटुम्ब न्यायालय, गुड़गांव की

अधिकारिता के अध्यधीन है, फिर भी, यह अभिनिर्धारित करने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है कि अन्य पक्षकार गंभीर अन्याय से ग्रसित हो जाएगा, यदि व्यादेश मंजूर नहीं किया जाता है । इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि दोनों पक्षकार यूएस के स्थायी नागरिक हैं । निर्विवाद तौर पर, सर्किट न्यायालय, फ्लोरिडा, यूएसए को भी प्रस्तुत मामले में, समवर्ती अधिकारिता है । यह दलील कि अपीलार्थी-पति गंभीर अन्याय से ग्रसित हो जाएगा यदि सर्किट न्यायालय, फ्लोरिडा, यूएसए में कार्यवाहियों को निरंतर चालू रखना मंजूर किया जाता है, कोई आधार नहीं बनता है, क्योंकि अपीलार्थी स्वयं वहां वर्ष 2007 के पश्चात् से रह रहा है और प्रतिवाद व्यादेश मंजूर करने के लिए उसके द्वारा एक अन्य व्यक्ति को मुख्तारनामे से सशक्त करते हुए उसके माध्यम से भारत में आरंभ की गई थी और उसके एवज में उसने मुकदमेबाजी को आगे बढ़ाया था । आगे, अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है कि किस प्रकार अपीलार्थी-पति गंभीर अन्याय से ग्रसित हो जाएगा, यदि प्रत्यर्थी-पत्नी को फ्लोरिडा में विवाह-विच्छेद की याचिका चलाने से अवरुद्ध करते हुए, व्यादेश मंजूर नहीं किया जाता है । आगे भी, यद्यपि, व्यादेश मंजूर करने से इनकार किया जाता है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा और अन्याय शाश्वत् जारी रहेगा । यह दलील कि प्रत्यर्थी-पत्नी ने विवाह के असुधार्य भंग के आधार पर यूएसए के न्यायालय में विवाह-विच्छेद के लिए याचिका फाइल की है जो अधिनियम, 1955 के अधीन विवाह-विच्छेद के लिए उपबंधित आधार नहीं है, पर विचार किया जाना अपेक्षित है । मात्र यह तथ्य कि प्रत्यर्थी-पत्नी ने उस आधार पर वाद फाइल किया है जो अधिनियम,1955 के अधीन उसे उपलब्ध नहीं है, का अभिप्राय यह नहीं है कि उसे विवाह-विच्छेद के लिए डिक्री में सफल होने की उसकी संभावना है । विनिर्दिष्टतः, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी ने सर्किट न्यायालय, फ्लोरिडा के समक्ष इस दलील को उद्भूत किया है और दोनों पक्षकारों ने इस प्रश्न के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि क्या उनके विवाह अधिनियम, 1955 द्वारा शासित है या किसी अन्य विधि द्वारा शासित है । विदेशी न्यायालय गलत तौर पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता है, यदि इसके पश्चात् अपीलार्थी यह साबित करने में सफल हो जाता है कि वर्तमान मामले में पक्षकार, उनके बीच विवादित मामले में, भारत में हिन्दुओं को शासित करने वाले विधि द्वारा निरंतर शासित रहे हैं । हमारी यह राय है कि विदेशी न्यायालय में जारी कार्यवाहियों को अन्यायपूर्ण या तंग करने वाला

नहीं कहा जा सकता है । (पैरा 9, 10, 18, 19, 20 और 21)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2016]	2006 की सिविल अपील सं. 1123, विनिश्चय 10 फरवरी, 2016 : **विवेक राय गुप्ता** बनाम **नियति गुप्ता** ;	15
[2007]	ए. आई. आर. 2007 पंजाब-हरियाणा 63 : **राकेश कुमार** बनाम **सुश्री असीमा कुमार** ;	7
[2003]	(2003) 3 एस. सी. सी. 341 : **मोदी इंटरटेंमेंट नेटवर्क और एक अन्य** बनाम **डब्ल्यू. एस. जी. क्रिकेट प्रा. लि.** ;	13, 14
[2003]	2003 (67) डी. आर. जे. 58 : **हरमिता सिंह** बनाम **रजत तनेजा** ;	16
[1991]	(1991) 3 एस. सी. सी. 451 : **वाई. नरसिम्हा राव और अन्य** बनाम **वाई. वेंकटा लक्ष्मी और एक अन्य** ;	17
[1987]	(1987) 1 एस. सी. सी. 496 : **ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन** बनाम **वेस्टर्न कंपनी ऑफ नार्थ अमेरिका** ।	12

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2018 की सिविल अपील सं. 3878.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 133 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — सुश्री इन्दु मल्होत्रा, ज्येष्ठ अधिवक्ता, सर्वश्री, विक्रम मेहता, विकास मेहता, प्रशांत सिंह, (सुश्री) राखी मोहंती, तनवीर नायर और (सुश्री) श्वेता दुग्गल, अधिवक्तागण

प्रत्यर्थी की ओर से — सर्वश्री वी. गिरि, ज्येष्ठ अप्रूव कुरुप, विवेक नासा और ए. सी. बाक्शीपत्रो, अधिवक्तागण

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल ने दिया ।

न्या. अग्रवाल – इजाजत दी गई ।

2. वर्तमान अपील, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा 2016 की सी. आर. संख्या 7190 में पारित तारीख 3 नवम्बर, 2016 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी-पति द्वारा जिला न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुड़गांव द्वारा 2016 के सिविल वाद सं. 15 में पारित तारीख 18 अक्तूबर, 2016 के आदेश के विरुद्ध फाइल पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया था जिसके द्वारा प्रत्यर्थी-पत्नी के विरुद्ध मंजूर अस्थायी व्यादेश को तारीख 26 सितम्बर, 2016 के आदेश द्वारा बातिल कर दिया गया था ।

संक्षिप्त तथ्य :

3. मामले की प्रकृति और परिस्थितियों के संबंध में, हम इस प्रक्रम पर विस्तार से सभी तथ्यों पर चर्चा करने का आशय नहीं रखते हैं । अतएव, इस वर्तमान अपील में अंतर्वलित विवाद्यक का मात्र मूल्यांकन करने के लिए संक्षिप्त में तथ्य कथित किए जा रहे हैं :–

(क) दिनेश सिंह ठाकुर – अपीलार्थी-पति और सोनल ठाकुर – प्रत्यर्थी-पत्नी के बीच हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार तारीख 20 फरवरी, 1995 को विवाह हुआ था और उक्त विवाह से दो बच्चे उत्पन्न हुए थे । अपीलार्थी-पति विवाह के समय पर संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में कार्य कर रहा था और उसने आश्रित वीजा पर प्रत्यर्थी-पत्नी को यूएसए ले गया । दोनों पक्षकारों ने मई, 2003 में यूएसए की नागरिकता प्राप्त कर ली थी । उन्होंने जून, 2003 में 'पीआईओ' (मूल भारतीय व्यक्ति) की हैसियत प्राप्त कर ली थी और जुलाई, 2006 में 'ओसीआई' (विदेशी भारतीय नागिरकता) की हैसियत प्राप्त कर ली थी ।

(ख) अपीलार्थी-पति ने प्रत्यर्थी-पत्नी के विरुद्ध हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 13 और 26 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय, गुड़गांव के समक्ष 2016 की एच. एम. ए. संख्या 601 के अधीन एक याचिका फाइल की, जो न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है । तत्पश्चात्, प्रत्यर्थी-पत्नी ने अपीलार्थी-पति के विरुद्ध छठवें न्यायिक सर्किट न्यायालय, पाइनलॉज काउंटी, फ्लोरिडा, यूएसए के समक्ष

वाद संख्या 2016-008918-एफ. डी. के अधीन असुधार्य विवाह-भंग और अन्य अनुतोषों के आधार पर विवाह-विच्छेद के लिए एक याचिका फाइल की । इसके पश्चात्, अपीलार्थी-पति ने स्थायी व्यादेश और इसके अलावा प्रत्यर्थी-पत्नी को यूएसए में न्यायालय के समक्ष विवाह-विच्छेद की याचिका चलाने से अवरुद्ध करने की घोषणा करने के लिए अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अधीन जिला न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुड़गांव के समक्ष 2016 की सिविल वाद संख्या 15 फाइल की ।

(ग) विद्वान् जिला न्यायाधीश ने तारीख 26 सितम्बर, 2016 के आदेश द्वारा अपीलार्थी-पति के पक्ष में, एकपक्षीय अस्थायी व्यादेश मंजूर कर लिया । इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी-पत्नी ने तारीख 26 सितम्बर, 2016 के आदेश को बातिल और उपांतरित करने के लिए एक आवेदन फाइल किया । विद्वान् जिला न्यायाधीश ने तारीख 18 अक्तूबर, 2016 के आदेश द्वारा तारीख 26 सितम्बर, 2016 के आदेश द्वारा मंजूर व्यादेश को बातिल कर दिया ।

(घ) व्यादेश बातिल करने के आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी-पति ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2016 की सी. आर. संख्या 7190 फाइल की । उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने तारीख 3 नवम्बर, 2016 के आदेश द्वारा अपीलार्थी-पति द्वारा फाइल याचिका को खारिज कर दिया ।

(ङ) तारीख 3 नवम्बर, 2016 के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी-पति ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष इजाजत के माध्यम से यह अपील फाइल की है ।

4. अपीलार्थी-पति के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल सुश्री इन्दु मल्होत्रा और प्रत्यर्थी-पत्नी के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री गिरि को सुना और अभिलेखों का परिशीलन किया ।

विचार के लिए मुद्दा (मुद्दें) :

5. इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए मात्र यह मुद्दा है कि क्या मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी-पति, प्रत्यर्थी-पत्नी के विरुद्ध प्रतिवाद व्यादेश के डिक्री पाने का हकदार है ?

परस्पर-विरोधी निवेदन :

6. अपीलार्थी-पति के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील दी कि

क्योंकि इसमें के अपीलार्थी ने पक्षकारों के विवाह के विघटन की ईप्सा करते हुए पहले ही याचिका फाइल की थी जिसमें प्रत्यर्थी-पत्नी को तारीख 4 अगस्त, 2016 को नोटिस तामील की गई थी और उसे तारीख 16 सितम्बर, 2016 को उपस्थित होते हुए यह कारण बताने के लिए कहा गया था कि क्या विवाह के असुधार्य विवाह-भंग के आधार पर, जो अधिनियम, 1955 के अधीन विवाह-विच्छेद का आधार नहीं है, विवाह-विच्छेद की डिक्री की ईप्सा करते हुए, प्रत्यर्थी-पत्नी द्वारा विदेशी न्यायालय में आरंभ की गई कार्यवाहियों पर रोक लगाए जाने के लिए दायी है । यह भी कि प्रत्यर्थी-पत्नी अपने अवयस्क बच्चों के साथ वर्ष 2003 से भारत में रह रही है और भारत में अपीलार्थी-पति द्वारा फाइल विवाह-विच्छेद की नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् यूएसए के न्यायालय में विवाह-विच्छेद के लिए याचिका फाइल की है जो न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है और कार्यवाहियों के बाहुल्य की कोटि में आता है ।

7. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि प्रत्यर्थी-पत्नी, स्वीकृततः गुड़गांव में रह रही है, इसलिए, गुड़गांव का न्यायालय दोनों पक्षकारों की सुविधा के लिए सही फोरम होगा । उन्होंने यह भी दलील दी कि विचारण न्यायालय ने मात्र विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (संक्षेप में जिसे इसमें इसके पश्चात् 'एस. आर. अधिनियम' कहा गया है) की धारा 41(ख) के उपबंधों और **राकेश कुमार** बनाम **सुश्री असीमा कुमार**[1] के विनिश्चय पर ही विचार किया है, किन्तु उसने एस. आर., अधिनियम की धारा 41(क) जो वर्तमान संदर्भ में सुसंगत है, के उपबंधों पर विचार नहीं किया है । अपीलार्थी-पति के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने अंततः यह दलील दी कि उच्च न्यायालय को निचले न्यायालय द्वारा अस्थायी व्यादेश को बातिल करने के आदेश को कायम रखने का कोई अधिकार नहीं था और न ही इस संबंध में, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप अपेक्षित था ।

8. प्रत्यर्थी-पत्नी के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने अपीलार्थी-पति के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल द्वारा किए गए दावों का खंडन करते हुए, यह निवेदन किया कि याचिका, जो फ्लोरिडा के न्यायालय के समक्ष फाइल किया गया है, न केवल पक्षकारों के विवाह के विघटन के लिए फाइल किया गया है, अपितु, वैवाहिक आस्तियों साम्यिक बटवारों, बच्चों के समर्थन, निर्वाहिका, विभाजन और अन्य कतिपय अनुतोषों का दावा करने के लिए भी किया गया है जो भारतीय विधि में उपलब्ध नहीं है । विद्वान्

---

[1] ए. आई. आर. 2007 पंजाब-हरियाणा 63.

ज्येष्ठ काउंसेल ने यह निवेदन किया कि प्रत्यर्थी-पत्नी और बच्चों को अपूरणीय हानि या क्षति कारित होगी यदि फ्लोरिडा के न्यायालय में लंबित याचिका पर रोक लगाई जाती है ।

चर्चा :

9. प्रतिवाद व्यादेशों का अभिप्राय यह है कि एक अन्य न्यायालय जिनमें विदेशी न्यायालय भी सम्मिलित है, मामले को संस्थित करने या अभियोजित करने के लिए वाद/कार्यवाही करने से पक्षकार को अवरुद्ध करना है । साधारणतया, प्रतिवाद व्यादेश एक न्यायिक आदेश है जो एक पक्षकार को उसकी अधिकारिता से परे किसी अन्य न्यायालय में वाद में अभियोजित करने से अवरुद्ध करना है । व्यादेश मंजूर करने वाले शासित सिद्धांत, प्रतिवाद व्यादेश मंजूर करने वाले सिद्धांत एक समान हैं । व्यादेश के मामलों में आधारभूत तौर पर साम्या के सिद्धांत ही लागू होते हैं ।

10. यह सुस्थिर विधि है कि भारत में न्यायालयों को समुचित मामले में, उस पक्षकार के विरुद्ध प्रतिवाद व्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है जिस पर उसकी वैयक्तिक अधिकारिता है । तथापि, न्यायालयों को प्रतिवाद व्यादेश का आदेश पारित करने के पूर्व अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए और इसे कम से कम मामलों में मंजूर करना चाहिए और दिन-प्रतिदिन के मामले के रूप में पारित नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे आदेशों में अन्य न्यायालय की अधिकारिता का अतिक्रमण अंतर्वलित होता है जो इसे अत्यधिक सरलता से ग्रहण नहीं कर सकता है, विनिर्दिष्टतः, तब जब यह विदेशी न्यायालय में मामला संस्थित करने या जारी रखने या निरंतर जारी रखने से अवरुद्ध करता है ।

11. इस परिप्रेक्ष्य में, एस. आर. अधिनियम, 1963 की धारा 41 को उद्धृत करना लाभदायक होगा, जिसके अधीन कतिपय उद्धरणों और परिस्थितियों का उपबंध है, जिसमें व्यादेश मंजूर किया जा सकता है :–

41. व्यादेश कब नामंजूर किया जाता है – व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जा सकता –

(क) किसी व्यक्ति को किसी ऐसी न्यायिक कार्यवाही के अभियोजन से अवरुद्ध करने को जो ऐसे वाद के जिसमें व्यादेश ईप्सित है, संस्थित किए जाने के समय लंबित हो, जब तक कि ऐसा अवरोध कार्यवाहियों के बाहुल्य को निवारित करने के लिए आवश्यक न हो ;

(ख) किसी व्यक्ति को ऐसे न्यायालय में, जो उस न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है जिससे व्यादेश ईप्सित है, किसी कार्यवाही को संस्थित या अभियोजित करने में अवरुद्ध करने को ;

(ग) किसी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय के समक्ष आवेदन करने से अवरुद्ध करने को ;

(घ) किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में कोई कार्यवाही संस्थित या अभियोजित करने से अवरुद्ध करने को ;

(ङ) ऐसी संविदा का भंग निवारित करने को जिसका विनिर्दिष्टतः पालन प्रवर्तनीय नहीं है ;

(च) किसी ऐसे कार्य की न्यूसेंस के आधार पर निवारित करने को, जिसके संबंध में यह युक्तियुक्त तौर पर स्पष्ट न हो कि वह न्यूसेंस हो जाएगा ;

(छ) किसी ऐसे चालू रहने वाले भंग को निवारित करने को, जिसमें वादी उपमत हो गया हो ;

(ज) जब कि समानतः प्रभावकारी अनुतोष, कार्यवाही के किसी अन्य प्रायिक ढंग द्वारा निश्चयपूर्वक अभिप्राप्त किया जा सकता हो सिवाय न्यायभंग की दशा के ;

(झ) जबकि वादी या उसके अभिकर्ताओं का आचरण ऐसा रहा हो जो उसे न्यायालय की मदद पाने के लिए निर्हकित कर दे ;

(ञ) जबकि वादी का उस मामले में कोई वैयक्तिक हित न हो ।

12. अपीलार्थी-पति ने यह तर्क दिया कि धारा 41(ख) वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है बल्कि यह मात्र उन मामलों में लागू होता है जहां प्रश्न, भारतीय न्यायालय में कार्यवाहियों के लिए व्यादेश से संबंधित होता है । इस तर्क के समर्थन में, विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने **ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन** बनाम **वेस्टर्न कंपनी ऑफ नार्थ अमेरिका**[1] वाले मामले का अवलंब लिया, जिसमें इस न्यायालय ने विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 41(ख) के उपबंधों का निर्वचन करते समय निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

---

[1] (1987) 1 एस. सी. सी. 496.

> "18. ..... हमारी राय में, यह उपबंध मात्र उस तथ्यात्मक परिस्थिति में लागू होगा जहां भारत के न्यायालय में कोई कार्रवाई संस्थित करने या अभियोजित करने से पक्षकार को अवरुद्ध करने के लिए व्यादेश की ईप्सा की जाती है, जो या तो समन्वय अधिकारिता में है या उस न्यायालय से उच्चतर है जिसमें भारत के न्यायालयों के अधिक्रम में व्यादेश की ईप्सा की गई है ...."

13. अपीलार्थी-पति के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने **मोदी इंटरटेंमेंट नेटवर्क और एक अन्य** बनाम **डब्ल्यू. एस. जी. क्रिकेट प्रा. लि.**[1] वाले मामले का भी अवलंब लिया है, जिसमें इस न्यायालय ने मामले पर विचार करते समय कतिपय सिद्धांतों को अधिकथित किया जिन्हें किसी न्यायालय द्वारा प्रतिवाद व्यादेश मंजूर करते समय विचार में लिया जाना अपेक्षित होता है । ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं :–

प्रतिवादी, जिसके विरुद्ध व्यादेश ईप्सित है, को न्यायालय की वैयक्तिक अधिकारिता के अध्यधीन होना चाहिए,

प्रतिवादी, जिसके विरुद्ध व्यादेश ईप्सित है, को न्यायालय की वैयक्तिक अधिकारिता के अध्यधीन होना चाहिए,

यदि, व्यादेश से इनकार किया जाता है तो न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा और अन्याय शाश्वत जारी रहेगा, तथा

न्यायालय के लिए सौजन्य सम्मान का सिद्धांत, जिसमें कार्रवाई/कार्यवाही आरंभ या जारी रहती है, को अवरुद्ध करने की ईप्सा की गई है – विवेक में उद्भूत होना चाहिए ।

14. **मोदी इंटरटेंमेंट नेटवर्क** (उपरोक्त) वाले मामले में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए, इस प्रतिपादना को दोहराया है कि भारत में न्यायालय, इंग्लैंड के न्यायालय की तरह, विधि और साम्या के न्यायालय है । प्रतिवाद व्यादेश को मंजूर करने के लिए शासित करने वाले सिद्धांत, विनिर्दिष्टतः, सामयिक अनुतोष, भारत में न्यायालयों को समुचित मामलों में, उस पक्षकार के विरुद्ध प्रतिवाद व्यादेश जारी करने की शक्तियां प्राप्त हैं जिस पर उसकी वैयक्तिक अधिकारिता है, इसका कारण यह है कि साम्या के न्यायालय व्यक्तिबंदी अधिकारिता का प्रयोग करते हैं, इस शक्ति का कम से कम प्रयोग होना चाहिए जहां ऐसा व्यादेश ईप्सित है

---

[1] (2003) 3 एस. सी. सी. 341.

और यदि मंजूर नहीं किया जाता है तो यह न्याय के उद्देश्य के विफल होने की कोटि में आ जाएगा और अन्याय निरंतर जारी रहेगा ।

15. **विवेक राय गुप्ता** बनाम **नियति गुप्ता**[1] वाले मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

> "यदि भारत में स्थित किसी अन्य चल/अचल संपत्ति के विरुद्ध कॉमन प्लीज, कुआहोगा, काउंट्री, ओहियो, यूएसए के न्यायालय द्वारा पारित तारीख 18 सितम्बर, 2012 के पूर्वोक्त डिक्री का निष्पादन कराने के लिए प्रत्यर्थी-पत्नी द्वारा निष्पादन कार्यवाहियां फाइल की गई हैं तो अपीलार्थी-पति के लिए यह खुला होगा कि वह विधि में उसे उपलब्ध किन्हीं आधारों पर उक्त निष्पादन याचिका का विरोध करे कि ऐसी डिक्री निष्पादनीय नहीं है ।"

16. आगे, **हरमिता सिंह** बनाम **रजत तनेजा**[2] वाले मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किया कि पक्षकार संयुक्त राज्य अमेरिका में अत्यंत संक्षिप्त समय के लिए एक साथ रहे थे तो भी उन्हें प्रतिवाद व्यादेश मंजूर कर लिया गया था ।

17. **वाई. नरसिम्हा राव और अन्य** बनाम **वाई. वेंकटा लक्ष्मी और एक अन्य**[3] वाले मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

> "20. पूर्वोक्त चर्चा से इस देश में विदेशी वैवाहिक निर्णय को मान्यता देने के लिए निम्नलिखित नियम अधिकथित किए जा सकते हैं । विदेशी न्यायालय द्वारा धारित अधिकारिता के साथ ही साथ उन आधारों जिन पर अनुतोष मंजूर किया गया है, वह उस वैवाहिक विधि के अनुसरण में होना चाहिए जिसके अधीन पक्षकारों के विवाह हुए हैं । इस नियम के अपवाद निम्नलिखित हो सकते हैं – (i) जहां वैवाहिक कार्रवाई उस फोरम में फाइल की गई है जहां प्रत्यर्थी निवास करता है या अभ्यासतः और स्थायी तौर पर निवास करता है और अनुतोष उस वैवाहिक विधि के अधीन उपलब्ध आधारों पर मंजूर किया गया है जिसके अधीन पक्षकार विवाहित हैं, (ii) जहां प्रत्यर्थी

---

[1] 2016 की सिविल अपील सं. 1123, विनिश्चय 10 फरवरी, 2016.

[2] 2003 (67) डी. आर. जे. 58.

[3] (1991) 3 एस. सी. सी. 451.

स्वैच्छिक तौर पर और प्रभावी तौर पर न्यायालय की अधिकारिता को स्वीकार करता है जैसा कि उपर्युक्त चर्चा की गई है और उस दावे का विरोध करता है जो उस वैवाहिक विधि के अधीन उपलब्ध आधारों पर आधारित है जिसके अधीन पक्षकार विवाहित हुए हैं, (iii) जहां प्रत्यर्थी ने अनुतोष मंजूर करने की सहमति दी है, यद्यपि, न्यायालय की अधिकारिता, पक्षकारों के वैवाहिक विधि के उपबंधों के अनुसरण में नहीं है ।"

18. आगे, सुनवाई के दौरान, कतिपय दस्तावेज जैसे प्रत्यर्थी-पत्नी का पैन कार्ड, आधार कार्ड, पट्टा विलेख जो उसके द्वारा वर्ष 2015 में निष्पादित किया गया था, जिसे भी अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है, से पर्याप्त रूप से यह दर्शित होता है कि प्रत्यर्थी-पत्नी सामान्यतः, भारत में रह रही है । आगे, जैसा कि यूएस न्यायालय के समक्ष अभिलिखित कार्यवाहियों से प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी ने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि कुटुम्ब न्यायालय, गुड़गांव को प्रस्तुत मामले की अधिकारिता है । अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य, यह दर्शित करने के लिए पर्याप्त हैं कि प्रत्यर्थी, कुटुम्ब न्यायालय, गुड़गावं की वैयक्तिक अधिकारिता के अध्यधीन है । यद्यपि, प्रत्यर्थी-पत्नी कुटुम्ब न्यायालय, गुड़गांव की अधिकारिता के अध्यधीन है, फिर भी, यह अभिनिर्धारित करने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है कि अन्य पक्षकार गंभीर अन्याय से ग्रसित हो जाएगा, यदि व्यादेश मंजूर नहीं किया जाता है । इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि दोनों पक्षकार यूएस के स्थायी नागरिक हैं । निर्विवाद तौर पर, सर्किट न्यायालय, फ्लोरिडा, यूएसए को भी प्रस्तुत मामले में, समवर्ती अधिकारिता है । यह दलील कि अपीलार्थी-पति गंभीर अन्याय से ग्रसित हो जाएगा यदि सर्किट न्यायालय, फ्लोरिडा, यूएसए में कार्यवाहियों को निरंतर चालू रखना मंजूर किया जाता है, कोई आधार नहीं बनता है, क्योंकि अपीलार्थी स्वयं वहां वर्ष 2007 के पश्चात् से रह रहा है और प्रतिवाद व्यादेश मंजूर करने के लिए उसके द्वारा एक अन्य व्यक्ति को मुख्तारनामे से सशक्त करते हुए उसके माध्यम से भारत में आरंभ की गई थी और उसके एवज में उसने मुकदमेबाजी को आगे बढ़ाया था । आगे, अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है कि किस प्रकार अपीलार्थी-पति गंभीर अन्याय से ग्रसित हो जाएगा, यदि प्रत्यर्थी-पत्नी को फ्लोरिडा में विवाह-विच्छेद की याचिका चलाने से अवरुद्ध करते हुए, व्यादेश मंजूर नहीं किया जाता है । आगे भी, यद्यपि, व्यादेश मंजूर करने से इनकार किया

जाता है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा और अन्याय शाश्वत जारी रहेगा ।

19. यह दलील कि प्रत्यर्थी-पत्नी ने विवाह के असुधार्य भंग के आधार पर यूएसए के न्यायालय में विवाह-विच्छेद के लिए याचिका फाइल की है जो अधिनियम, 1955 के अधीन विवाह-विच्छेद के लिए उपबंधित आधार नहीं है, पर विचार किया जाना अपेक्षित है । मात्र यह तथ्य कि प्रत्यर्थी-पत्नी ने उस आधार पर वाद फाइल किया है जो अधिनियम, 1955 के अधीन उसे उपलब्ध नहीं है, का अभिप्राय यह नहीं है कि उसे विवाह-विच्छेद के लिए डिक्री में सफल होने की उसकी संभावना है । विनिर्दिष्टतः, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी ने सर्किट न्यायालय, फ्लोरिडा के समक्ष इस दलील को उद्भूत किया है और दोनों पक्षकारों ने इस प्रश्न के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि क्या उनके विवाह अधिनियम, 1955 द्वारा शासित है या किसी अन्य विधि द्वारा शासित है ।

20. विदेशी न्यायालय गलत तौर पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता है, यदि इसके पश्चात् अपीलार्थी यह साबित करने में सफल हो जाता है कि वर्तमान मामले में पक्षकार, उनके बीच विवादित मामले में, भारत में हिन्दुओं को शासित करने वाले विधि द्वारा निरंतर शासित रहे हैं ।

21. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए मामले की प्रकृति और अन्य विशिष्ट तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, मैं, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय में हस्तक्षेप करना समुचित नहीं समझता हूं । हमारी यह राय है कि विदेशी न्यायालय में जारी कार्यवाहियों को अन्यायपूर्ण या तंग करने वाला नहीं कहा जा सकता है । तद्नुसार, अपील खारिज की जाती है, खर्चे का कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

क.